स्थानांतरण नीति

अनुप्रयोज्यता

1.1 स्थानांतरण नीति नीचे दिए अनुसार लागू होगी –
- कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों व कर्मचारियों के लिए
- प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक (जब तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया हो), जिन्हें इसमें अब से कार्मिक कहा जाएगा ।

2.0 उद्देश्य

i) बदलती संगठनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।
ii) जनशक्ति (मैनपावर) का इष्टतम उपयोग, कार्य कुशलता का उन्नयन सुनिश्चित करना और कार्मिको में तकनीकी ज्ञान का सृजन करने में सहायता करना ।
iii) उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से विशिष्ट कार्यों / उद्देश्यों को पूरा करना ।
iv) संगठन की विकासोन्मुख आवश्यकताओं, कार्मिकों की महत्वाकांक्षाओं एवं भावी संगठनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।
v) प्रगतिशील संगठन का पुनर्गठन करना ।

2.1 कार्मिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण से संगठनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कार्मिकों की विकासोन्मुख एवं व्यावसायिक जरूरतों की पूर्ति होती है | व्यापक स्तर पर इसको निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है –

i) संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जनशक्ति (मैनपावर) योजना के अनुसार, इष्टतम उपयुक्त स्थापन (प्लेसमेंट) तथा कार्य की तात्कालिकता की पूर्ति तथा स्थान विशेष की आवश्यकता को पूरा करना जहां विशिष्ट ज्ञान/ अनुभव की आवश्यकता हो ।
ii) प्रशासनिक महत्व
iii) जॉब-रोटेशन के माध्यम से कार्मिकों के कैरियर विकास की पूर्ति करना ।

3.0 प्रक्रिया

3.1 संगठन की जनशक्ति (मैनपावर) आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्मिकों का स्थानांतरण नियत किया जाएगा ।

3.2 स्थानांतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता विभाग/ परियोजना/ कार्यालय दोनों के लिए जनशक्ति की महत्ता पर कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए विचार किया जाएगा, जिन कार्मिकों ने कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल हार्ड लोकेशन पर तथा तीन वर्ष का कार्यकाल डिफीकल्ट कार्य स्थल/ स्टेशन पर तथा चार वर्ष का कार्यकाल सॉफ्ट कार्य स्थल/ स्टेशन पर व्यतीत किया हो । तथापि, एक क्षेत्र या एक क्लस्टर के भीतर 10 वर्षों से अधिक समय तक रहने वाले कार्मिकों को अनिवार्य रूप से क्षेत्र/ क्लस्टर से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जब तक कि कार्य हित में सीएमडी द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है। *(दिनांक 01.11.2021 के भाग-I कार्यालय आदेश संख्या 67/2021 द्वारा संशोधित)*।

टिप्पणी :

i) क्लस्टर । अर्थात हार्ड पोस्टिंग में 2 वर्ष का कार्यकाल और क्लस्टर II अर्थात डिफीकल्ट पोस्टिंग में 3 वर्ष का कार्यकाल, उस विशिष्ट परियोजना/ पावर स्टेशन/ यूनिट पर कार्मिक की प्रत्यक्ष प्रवास की अवधि को माना जाएगा । *(दिनांक 17.04.2020 के भाग-I कार्यालय आदेश संख्या 42/2020 द्वारा संशोधित)।*

3.2.1 संगठन के हित में, कार्मिको को प्रशासनिक तत्काल आवश्यकताओं के कारण अपना निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा करने से पहले ही किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है । *(भाग-I दिनांक 30.12.2021 के का./आ. सं. 90/2021 द्वारा शुरू) ।*

3.3 स्थानांतरण के उददेश्य हेतु परियोजना/ यूनिटों/ कार्यालयों को निम्नलिखित क्लस्टरों में बांटा गया है -

क. हार्ड पोस्टिंग

क्लस्टर -I

निम्मो बाजगो, चुटक, तवांग बेसिन परियोजनाएं, डुगर जल विद्युत परियोजना, धौलीगंगा पावर स्टेशन, सावलकोट जल विद्युत परियोजना और निगम द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित इन परियोजनाओं के समरूप आस-पास स्थित अन्य सभी परियोजनाएं/ स्टेशन/ यूनिटें/ कार्यालय शामिल होंगे ।

ख. डिफीकल्ट पोस्टिंग

क्लस्टर -II

दिबांग बहुउद्देशीय परियोजनाएं, लोकतक पावर स्टेशन, लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड (जेवी), उडी- I, उडी- II, दुलहस्ती, किशनगंगा, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (किरू और क्वार, पकल दुल), म्यांमार में विदेशी पोस्टिंग और निगम द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित इन परियोजनाओं के समरूप आस-पास स्थित अन्य सभी परियोजनाएं/ स्टेशन/ यूनिटें/ कार्यालय शामिल होंगे ।

ग. सॉफ्ट पोस्टिंग

क्लस्टर -III

सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, क्षेत्रीय कार्यालय-ईटानगर, सलाल, रंगित, तीस्ता-V, तीस्ता-IV, तीस्ता लो डैम- III और IV, तीस्ता-VI, क्षेत्रीय कार्यालय- सिलीगुड़ी, पीआईडी फील्ड यूनिट-सिलीगुड़ी, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, जम्मू, चमेरा- I/ II/ III, बैरा स्यूल, क्षेत्रीय कार्यालय - बनीखेत, सेवा- II, पार्बती- II, पार्बती III, टनकपुर पावर स्टेशन, कोटली भेल-Iए और निगम द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित इन परियोजनाओं के समरूप आस-पास स्थित अन्य सभी परियोजनाएं/ स्टेशन/ यूनिटें/ कार्यालय शामिल होंगे ।

क्लस्टर -IV

क्षेत्रीय कार्यालय-जम्मू, क्षेत्रीय कार्यालय-चंडीगढ़, बिहार ग्रामीण सड़क परियोजनाएं, पीआईडी-पठानकोट, एलओ-लखनऊ, एनएचडीसी (जेवी) और निगम द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित इन परियोजनाओं के समरूप आस-पास स्थित अन्य सभी परियोजनाएं/ स्टेशन/ यूनिटें/ कार्यालय शामिल होंगे ।

क्लस्टर - V

निगम मुख्यालय, विदेशी पोस्टिंग (म्यांमार के अलावा), अन्य संगठनों/ सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक और निगम द्वारा समय - समय पर यथा अधिसूचित इन परियोजनाओं के समरूप आस-पास स्थित अन्य सभी परियोजनाएं/ स्टेशन/ यूनिटें/ कार्यालय शामिल होंगे ।

टिप्पणी: परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के अधीन कुछ ऐसे स्थान हैं जो बहुत दूरस्थ हैं, जलवायु की दृष्टि से बहुत प्रतिकूल हैं और आधारभूत साधनों और बुनियादी सुविधाओं की कमी है (जैसे कि किशनगंगा में गुरेज, सेवा- II पावर स्टेशन में बानी, चमेरा- III में खड़ामुख, पार्बती II में सिलागढ़ और वरशैनी, बैरा स्यूल पावर स्टेशन में तिस्सा, लोकतक पावर स्टेशन में लीमातक आदि)। यह निर्णय लिया गया है कि इन स्थानों पर तैनात कार्मिकों की कठिनाई को कम करने के लिए परियोजना प्रमुख द्वारा इन स्थानों पर तैनात कर्मचारियों का समय-समय पर स्थान परिवर्तन किया जाएगा । तथापि, यदि कोई अधिकारी संगठनात्मक आवश्यकताओं के कारण उपर्युक्त स्थानों पर एक वर्ष से अधिक समय तक पदस्थापित रहता है, तो उसकी नियुक्ति को संबंधित परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों के कठिनाई स्तर से एक स्तर ऊपर माना जा सकता है।

(दिनांक-17.04.2020 के भाग-I का./आ. संख्या 42/2020 और दिनांक 21.08.2020 के भाग-Iका./आ. संख्या 70/2020 द्वारा संशोधित)।

(*02 वर्षों के लिए शामिल। उसके बाद परियोजना स्वत: अगले निचले क्लस्टर में चली जाएगी जब तक कि उसी क्लस्टर में जारी रखने के लिए समीक्षा और निर्णय नहीं लिया जाएगा। भाग-I कार्यालय आदेश संख्या 78/2022 दिनांक 05.08.2022 द्वारा जोड़ा गया)

3.4 आवश्यकतानुसार अथवा विशेष स्थान पर कार्मिक का कार्यकाल पूरा होने पर कार्मिक का स्थानांतरण हार्ड/ डिफीकल्ट से सॉफ्ट पोस्टिंग या इसके विपरीत स्थानों पर किया जाएगा । जहां तक संभव हो, तत्काल पिछले स्टेशन पर पोस्टिंग के लिए, वर्तमान स्थान के पूर्ण कार्यकाल की कूलिंग-ऑफ अवधि या 03 वर्ष जो भी पहले आवश्यक हो, में संगठनात्मक आवश्यकता को देखते हुए सीएमडी द्वारा छूट दी जा सकती है । *(दिनांक 01.11.2021 के भाग-I का./आ. संख्या 67/2021 द्वारा संशोधित)।*

3.5 परिस्थितिवश किसी कारणवश हार्ड / डिफिकल्ट से साफ्ट स्थान पर था इसके विलोमत: किसी कार्मिक का स्थानांतरण या इसके विलोमत: किसी कार्मिक का स्थानांतरण एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में किया जा सकता है, लेकिन उसी क्लस्टर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

3.6 जिस कार्मिक ने हार्ड परियोजना पर तैनाती का कार्यकाल पूरा कर लिया है उसके द्वारा चुने गए स्थान पर तैनाती के लिए आवश्यकतानुसार विचार किया जा सकता है । बशर्ते कि वह निर्धारित छ: क्लस्टर्स में से केवल किन्ही तीन को दी गई प्राथमिकता से केवल एक को चुने । निगम मुख्यालय व विदेशी तैनातियों (म्यांमार को छोड़कर) के लिए संगठन की आवश्यकतानुसार तैनाती की जाएगी ।

3.7 प्रत्येक परियोजना / स्टेशन /कार्यालय में जहाँ प्लांट / कार्यालय स्थित है, वहां 50 प्रतिशत गृह राज्य से तथा 50 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों से अर्थात उस क्षेत्र से अर्थात (गृह राज्य और अन्य राज्यों से) कार्मिकों का पर्याप्त तरीके से समावेश का प्रयत्न किया जाएगा ।

टिप्पणी

स्थानांतरण करते समय यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि किसी विशेष कार्य में किसी विभाग से 20 प्रतिशत से अधिक कार्मिको का स्थानांतरण नहीं किया गया हो । तथापि, यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि संबंधित विभाग की कुल जनशक्ति (मैनपावर) उस विभाग की स्वीकृत मेनपावर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3.8 कार्मिक के प्रशिक्षण पूरा होनेपर आवश्यकतानुसार परियोजनाएं पावर स्टेशनों / यूनिटों पर तैनाती होगी । सामान्यत: कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संगठन की आवश्यकतानुसार 3 वर्षों की अवधि के बाद जॉब रोटेशन के आधार पर कार्मिकों का स्थानांतरण हेतु विचार किया जाएगा ।

3.9 पर्यवेक्षकों की पदोन्नति कार्यपालक संवर्ग में होने पर उन्हें अनिवार्य रूप से अन्य क्लस्टर के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा ।

3.10 जिन कार्मिकों ने एनएचपीसी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रोत्साहन के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सराहनीय कार्य निष्पादन किया है । उन कार्मिकों को वांछित स्थानों पर तैनाती हेतु विचार किया जा सकता है ।

3.11 जिस कार्मिक को सेवानिवृत्ति में दो वर्ष की सेवा अवधि शेष है स्वयं उनके द्वारा चुने गए तैनाती स्थान पर विचार किया जाएगा । यदि ऐसा संभव नहीं तो इस मामले में कार्मिक की तैनाती नजदीक के क्लस्टर में किसी स्थान पर की जाएगी ।

3.12 स्थानांतरण का निर्णय लेते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा –

i) परियोजना प्रमुख व ई-8, ई-9 श्रेणी के कार्मिकों का स्थानांतरण अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अनुमोदनानुसार प्रभावी होंगे ।

ii) परियोजना प्रमुखों को छोड़कर कार्यपालक संवर्ग (ई-1 से ई-7) तक के कार्मिकों का स्थानांतरण निम्नानुसार गठित निदेशकों की समिति के अनुमोदनानुसार प्रभावी होंगे ।

(क) निदेशक (तकनीकी) के नियंत्रणाधीन विभागों / पावर स्टेशनों / परियोजनाएं के लिए निदेशक (कार्मिक) व निदेशक (तकनीकी) ।
(ख) निदेशक (परियोजनाएं) के नियंत्रणाधीन परियोजनाओं व विभागों के लिए निदेशक (कार्मिक) व निदेशक (परियोजनाएं) ।
(ग) निदेशक (कार्मिक) व निदेशक (वित्त) के नियंत्रणाधीन मानव संसाधन विभाग, (वित्त विभाग) विभागों के लिए निदेशक (कार्मिक) व निदेशक (वित्त)

iii) निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन के अतिरिक्त परियोजना प्रमुखों / कार्यपालकों द्वारा अनुमोदित जनशक्ति (मैनपावर) मापदंडों में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

iv) तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकताओं की स्थिति में जहां संबंधित निदेशक (कार्यकारी) का परामर्शसंभव नहीं है उस स्थिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कार्य के हित में ऐसे स्थानांतरण आदेश कर सकते हैं ।

v) पर्यवेक्षकों या इससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों का स्थानांतरण नीचे दिए अनुसार प्रभावी होगा –

(क) एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र / निगम मुख्यालय या इसके विपरीत के बीच स्थानांतरण के लिए निदेशक (कार्मिक) ।
(ख) स्वीकृत पदों को ध्यान में रखते हुए उसी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए कार्यपालक निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय) ।

3.13 कर्मचारी के अनुरोध पर किसी विशेष क्षेत्र / स्टेशन / परियोजना में स्थानांतरण हेतु मांग के मामले में उस कार्मिक के इस अनुरोध को क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा सकता है । तथापि, इस मामले में पालिसी की मद संख्या 4.3 लागू होगी ।

3.14 सामान्यत: यह स्थानांतरण आदेश अप्रैल / मई महीने के दौरान या पदोन्नति के साथ किया जाएगा बशर्ते किसी तात्कालिकता को छोड़कर ।

3.15 तथापि, प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित है ।

3.16 किसी कार्मिक की गृह राज्य में तैनाती उसके / उसकी गृह नगर में तैनाती अर्थात् साफ्ट पोस्टिंग मानी जाएगी और प्रबंधन को संगठन की आवश्यकतानुसार कार्मिक का किसी स्थान स्थानांतरण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

3.17 57 वर्ष की आयु के ऊपर उम्र वाले कार्मिकों की तैनाती कठिनाई वाले भू-भागों/ प्रतिकूल मौसम स्थिति वाले स्थानों सहित हार्ड लोकेशनों से दूर रखी जाएगी । तथापि, संगठन की आवश्यकतानुसार कार्मिक का किसी स्थान पर स्थानांतरण करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा ।

3.18 विभिन्न क्लस्टर खण्डों में परियोजनाओं / स्टेशनों / यूनिटों / कार्यालयों का वर्गीकरण केवल स्थानांतरण के उद्देश्य हेतु स्थानांतरण नीति में दिया गया है, अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं, अन्य लाभों/सुविधाओं आदि के लिए प्रचलित संबंधित नीतियों / आदेशों का अनुपालन लागू होगा ।

3.19 क) जहां तक संभव हो, दिव्यांग कर्मचारियों को रोटेशनल स्थानांतरण नीति/ स्थानांतरण से छूट दी जा सकती है और उन्हें उसी कार्य पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है, जहां उन्होंने पोस्टिंग के समय वांछित प्रदर्शन और वरीयता प्राप्त की होगी । प्रशासनिक बाध्यताओं के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों को स्थानांतरण/ पदोन्नति दी जा सकती है।

ख) दिव्यांग बच्चे की देखभाल करने वाले कार्मिक को प्रशासनिक बाध्यताओं के अधीन स्थानांतरण/ रोटेशनल स्थानांतरण के नैत्यक प्रक्रिया से छूट दी जा सकती है । दिव्यांग शब्द में शामिल हैं (i) अंधापन या कम दृष्टि (ii) सुनने की असमर्थता (iii) लोकोमोटर विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात (iv) कुष्ठ रोग (v) मानसिक मंदता (vi) मानसिक बीमारी (vii) बहु विकलांगता (viii) ऑटिज्म।"

(दिनांक 29.09.2014 के भाग-I का./आ. संख्या 50/2014 और दिनांक 17.03.2015 के का./आ. संख्या 11/2015)

4.0 <u>विशेष मामलों में प्रावधान</u>

4.1 अपने स्थानांतरण के संबंध में जिन कार्मिकों ने विशेष क्षेत्र/स्टेशन में स्थानांतरण कराने के लिए विभाग प्रमुख या उनके सह-कर्मी के माध्यम से अनुरोध द्वारा या मंत्रालय द्वारा मौखिक या लिखित रूप में दबाव आदि बनाया तो प्रबंधन उस कार्मिक के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करेगा । उनकी सेवा पंजी में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी तथा इसकी सूचना कार्मिक को भी दी जाएगी ।

4.2 जिन कार्मिकों के स्थानांतरण आदेश जारी हो जाते हैं उन सभी कार्मिकों को संबंधित परियोजना / नियंत्रण अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति पर सात दिनों के अदर कार्यभार मुक्त करना होगा । तथापि, किसी परिस्थितिवश यदि यह संभव नहीं है तो कार्मिक स्थानांतरण आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह पूरा होने पर स्वत: ही कार्यभार मुक्त समझा जाएगा ।

इसके साथ ही साथ यदि कार्मिक को कार्यभार सौंपना जरूरी है तो ऐसा करने के बाद ही वह स्थानांतरित स्थल/स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा और यह कार्य, कार्यभार मुक्ति के तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए । उपरोक्त उद्देश्य हेतु कार्मिक को दौर पर माना जाएगा ।

फिर भी कार्मिक के छुट्टी या दौरे पर होने के कारण यदि उपरोक्तानुसार कार्यभार मुक्त करना संभव नहीं है तो उसके कार्यालय वापस आने पर उसे कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के 7 दिनों के भीतर तत्काल कार्यभार मुक्त किया जाएगा । तथापि यह संज्ञान में लिया जाएगा कि कार्मिक स्थानांतरण आदेश के जारी होने के पहले छुट्टी / दौरे पर पहले से ही था ।

टिप्पणी

स्थानांतरण के मामले में संबंधित निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित कार्मिक निर्धारित समय के भीतर परियोजना प्रमुखों / विभाग प्रमुखों द्वारा कार्यभार मुक्त किए गए हैं ।

4.3 स्थानांतरणाधीन कार्मिक ने किसी कारण से (कारण जो भी हो) निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसके अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता अवधि कई महीनों के लिए बढ़ा दी जाएगी ।

4.4 यदि स्थानांतरणाधीन कार्मिक परियोजना प्रमुख / नियंत्रण अधिकारी किसी कारण से निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्यभार से मुक्त नहीं किया जाता है तो इसे आदेशों की अवहेलना के तौर माना जाएगा और उस परियोजना प्रमुख/ नियंत्रण अधिकारी के पीएआर में इसका उल्लेख किया जाएगा, तथा इसकी सूचना परियोजना प्रमुख/ नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुख को दी जाएगी ।

5.0 सक्षम प्राधिकारी

5.1 उपरोक्त योजना के प्रावधानों की समीक्षा या संशोधन / परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित होगा ।

****